(128)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

संख्या– डीडीएमए/कोविड–19/2020/128 दिनांक 02.05.2020

आदेश

जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है;

और जबकि कोविड–19 का संकट समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित समूचे देश में 17 मई, 2020 की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन अधिसूचित कर दिया है;

और जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से समुचित ढंग से निपटने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करने के बारे में सभी संबद्ध अधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किए हैं;

और जबकि भारत सरकार के वित्त मत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने दिनांक 01.04.2020 के पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत धन के वितरण के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देशों की जानकारी दी है, जिसमें भीड़ से निपटने के लिए खाताधारकों को पृथक करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना; खाताधारकों की पृथकता और नक़दी संवितरण के तौर तरीके प्रचारित करना; और कानून व्यवस्था और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बैंक शाखाओं और बिजनेस कोर्स्पोन्डेंट्स के साथ समुचित सुरक्षा कार्मिकों का प्रावधान करना शामिल हैं;

और जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अपने आदेश संख्या डीडीएमए/कोविड–19/2020/18 दिनांक 03.04.2020 (प्रति संलग्न) के ज़रिए सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों/विभागों को निर्देश दिया कि वित्त मंत्रालय के उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करें;

और जबकि भारत सरकार के वित्त मत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने दिनांक 01.05.2020 के पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से आगे जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता धारक महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड–19

महामारी को देखते हुए मई 2020 के लिए 500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से अनुग्रह राशि प्रत्यक्ष अंतरित किए जाने के बारे में कुछ दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

अतः अब अधोहस्ताक्षरी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में एतद द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सभी विभागों/प्राधिकरणों और दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेटों और उनके काउंटरपार्ट दिल्ली के पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नांकित बातें सुनिश्चित करें:–

क) लाभार्थियों द्वारा व्यवस्थित रूप से धन आहरित करने के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए, बैंक शाखाओं, बिजनेस कोर्सपोंडेंट्स (बीसीज) और एटीएम्स पर खाता धारकों के पहुंचने पर उन्हें अलग–अलग रखा जाए और संवितरण के लिए निम्नांकित कार्यक्रम का अनुसरण किया जा सकता है, जो लाभार्थी की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित होगा :–

महिला पीएमजेडीवाई खाताधारक जिनके खाते का अंतिम अंक निम्नांकित अनुसार हो	**लाभार्थी द्वारा राशि आहरित करने की तारीख निम्नांकित अनुसार हो सकती है**
0 या 1	04.05.2020
2 या 3	05.05.2020
4 या 5	06.05.2020
6 या 7	08.05.2020
8 या 9	11.05.2020

11.05.2020 के बाद के बाद कोई लाभार्थी राशि आहरित करने के लिए सामान्य बैंकिंग समय के अनुसार किसी भी दिन बैंक शाखा में अथवा बिजनेस कोर्सपोंडेंट्स (बीसी) के पास जा सकता है।

ख) बैंक भी लाभाथियों के खाते में तदनुरूप चरणबद्ध तरीके से राशि क्रेडिट कर सकते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम की जानकारी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से दी जा सकती है, जैसा कि डीएफएस पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 2020 में सुझाया गया है।

ग) बैंकों को अन्य बातों के अलावा, निम्नांकित सुनिश्चित करना चाहिए :–

I. बैंक शाखाओं और बिजनेस कोर्सपोंडेंट्स (बीसी) के पास समुचित नक़दी हो।

II. ग्राहकों की जरूरत पूरी करने के लिए एटीएम्स का नियमित रूप से पुर्नभरण को।

III. जहां कहीं आवश्यक हो, पर्याप्त नक़दी के साथ मोबाइल एटीएम्स की व्यवस्था करें।

IV. धन आहरण के लिए लाभार्थी को समय सारिणीी की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जानी चाहिए।

V. लाभार्थियों को इस आशय का एसएमएस भी भेजा जाना चाहिए कि उनके पास डिजिटल भुगतान पद्धति का विकल्प भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल निर्धारित सुरक्षा मानदंड का अनुपालन करते हुए किया जा सकता है।

घ) एसएमएस संदेश के अलावा, स्थानीय प्रचार (स्थानीय चैनलों/प्रिंट मीडिया/केबल ऑपरेटरों/स्थानीय रेडियो/अन्य चैनलों के ज़रिए) भी किया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाये कि पीएमजेडीवाई खाताधारक महिला लाभार्थियों के खाते में राशि क्रेडिट की गई है जो उनकी आवश्यकता अनुसार आहरण के लिए उपलब्ध है, और यदि वे तत्काल धन निकालना चाहती हैं तो उपरोक्त पैरा में वर्णित कार्यक्रम के अनुसार बैंक शाखा अथवा बिजनेस कोर्सपोंडेंट्स (बीसी) के पास जा सकती हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि समय सारिणी व्यवस्थित संवितरण और सामाजिक दूरी बनाए रखने को देखते हुए तय की गयी है।

ङ) एसएलबीसी संयोजक रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संबद्ध प्राधिकारियों से तत्काल संपर्क करें और उन्हें आहरण की विशेष योजना से अवगत कराएं और बैंक शाखाओं, बी सी किओस्कों और एटीएम्स पर उपयुक्त सुरक्षा में मदद के लिए उनसे आग्रह करें।

च) जिला प्राधिकारी और पुलिस प्रशासन प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के खाते में धन के संवितरण के दौरान बैंकों के साथ समन्वय की तैयारी करे।

छ) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को धन का सुचारू संवितरण सुनिश्चित करें।

ज) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग के उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

झ) बैंक भुगतान के लिए खाताधारकों की पृथक्करण योजना पर अमल सुनिश्चित करेंगे भीड़ एकत्र नहीं होने देंगे ताकि सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके।

ञ) दिल्ली के पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस के जिला डीसीपीज को निर्देश देंगे कि वे सभी बैंक शाखाओं और बीसीज पर कानून व्यवस्था और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध (समुचित संख्या में पुलिस कर्मी तैनात करने सहित) करेंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव दिल्ली

सेवा में :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सभी अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।
11. सभी जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।

12. सिस्टम अनेलिस्ट, संभागीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली को इसे वेबसाइट ddma.delhigovt.nic.in पर अपलोड करने के लिए

13. गार्ड फाइल